"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 118] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 अप्रैल 2010—चैत्र 23, शक 1932

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-101/गृह-सी/07.—यत: राज्य सरकार छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-101/गृह-सी/07, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 में वृद्धि करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माओवादी) और उसके छ: अग्र (फ्रंट) संगठनों-दण्डकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, क्रांतिकारी आदिवासी बालक संघ, क्रांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच, आर.पी.सी. अथवा जनताना सरकार को पुन: एक वर्ष की कालावधि के लिए विधि विरुद्ध संगठन के रूप में घोषित करती है.

यह अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल, 2010 से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. असवाल, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 4-101/गृह-सी/07.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 13-04-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. असवाल, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 13th April 2010

NOTIFICATION

F No. 4-101/Home-C/2007.—Whereas the State Government in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 3 of Chhattisgarh Visesh Jan Suraksha Act, 2005 (No. 14 of 2006), extends the notification of this Department F. No. 4-101/Home-C/2007 dated 22 April 2009 and declares Communist Party of India (Maoist) and its Six front Dandkarayan Adhivasi Kishan Majhdoor Sangh, Krantikari Adhivasi Mahila Sangh, Krantikari Adhivasi Balak Sangh, Krantikari Kishan, Mahila Mukti Manch, R.P.C. & Jantana Sarkar committee organisation as Unlawful Organisations for a further period of one year.

This Notification will remain in force for one year with effect from 12 April 2010.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
N. K. ASWAL, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.